1, अणे मार्ग स्थित 'विमर्श', पटना में दिनांक–20 अगस्त, 2013 मंगलवार को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

1. पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत अंचल–मोतिहारी, मौजा– लुठहाँ, थाना सं०–170, खाता सं०–82 एवं 58, खेसरा सं०–51 एवं 83 का रकबा क्रमशः 0.20 एकड़ एवं 0.80 एकड़ कुल रकबा–1.00 एकड़ गैरमजरूआ मालिक परती कदीम, समाहरणालय परिसर की भूमि उत्पाद कार्यालय भवन बैरेक, हाजत एवं मालखाना भवन के निर्माण हेतु निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को निःशुल्क अन्तर्विभागीय, स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — 1. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

2. सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सुरसंड अंचल के मौजा–वीरपुर, थाना नं०–29, खाता नं०–501, खेसरा नं०–1928 में से 5.00 (पाँच) एकड़ गैरमजरूआ आम भूमि, राजकीय पॉलिटेकनिक संस्थान की स्थापना हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — 2. **स्वीकृत।**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

3. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक) वेतनमान–₹ 37,400–67,000+ग्रेड पे–₹ 8,700 से मुख्य अभियंता (यांत्रिक) वेतनमान– ₹37,400–67,000+ग्रेड पे–₹8,900 के पद पर प्रोन्नति। — 3. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

4. श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीच्यूट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा लाईब्रेरी (बिहार राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय) में कार्यरत पुस्तकालय कर्मियों के वेतनादि एवं आकस्मिकतादि व्यय के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में गैर योजना मद से सहायक अनुदान की राशि ₹ 20,00,000.00 (बीस लाख) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में। — 4. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

5. श्री कृष्ण सेवा सदन, मुंगेर जिला केन्द्रीय पुस्तकालय को गैर योजना मद से स्थापना व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 में सहायक अनुदान कुल ₹ 2,00,000/–(दो लाख) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में। — 5. **स्वीकृत।**

श्रम संसाधन विभाग

6. बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग नियमावली, 2013 — 6. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

7. नालन्दा जिलान्तर्गत राजगीर अंचल के मौजा–पथरौरा, थाना नं०–480, खाता सं०–259, खेसरा सं०–1021 रकबा–0.20 एकड़ (बीस डी०) गैर मजरूआ आम किस्म पोखर भूमि, पथरौरा पैक्स गोदाम निर्माण हेतु सहकारिता विभाग, बिहार को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तांतरण के संबंध में। — 7. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

8. गया जिलान्तर्गत अंचल–बेलागंज, मौजा–मेन, थाना नं०–104, खाता नं०–433, खेसरा नं०–2844, रकबा– 0. 60 एकड़, अनाबाद सर्वसाधारण भूमि, किस्म नदी जिसकी प्रकृति बदल गयी है, को नवसृजित थाना भवन के निर्माण हेतु गृह (आरक्षी) विभाग को निःशुल्क अन्र्तविभागीय हस्तान्तरण के संबंध में। — 8. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

9. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के आधारभूत संरचना, शिक्षकों का मानक मंडल, शैक्षिक पाठयक्रम एवं राज्य स्तर पर आयोजित की जानेवाली विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विभाग द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारित करने एवं विभागीय पदाधिकारियों को निरीक्षण की शक्ति प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

10. राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना को प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजन, भवन निर्माण योजना, स्थापना एवं अन्य व्ययों के निमित्त कुल रूपये 3,00,00,000/– (तीन करोड़) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 10. स्वीकृत।

वित्त विभाग

11. सेवाकाल में मृत्यु होने पर वर्द्धित दर पर पारिवारिक पेंशन की अनुमान्य अवधि के प्रभावी होने के संबंध में वित्त विभागीय संकल्प सं०–819 दिनांक–23.09.2009 की कंडिका–2 VII (ग) के प्रावधान के संबंध में स्पष्टीकरण। — 11. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

12. बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के लिए मूल कोटि के पे–बैण्ड ₹ 9300–34,800, ग्रेड पे ₹ 5400 में वरीय उप समाहर्त्ता के 372 पद एवं विशेष कार्य पदाधिकारी (मूल कोटि) के 30 पद तथा उप सचिव (अपर समाहर्त्ता/ समकक्ष स्तर) के वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹7600 में विशेष कार्य पदाधिकारी के 30 अस्थायी रूप से सृजित पद का अवधि विस्तार। — 12. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

13. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं०–17144 /2009 में पारित न्यायादेश के अनुपालन में डा० संजीव कुमार चौधरी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा० स्वा०केन्द्र, पिपराबगाही, औरंगाबाद की बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें पुनः सरकारी सेवा में वापस लिये जाने की स्वीकृति। — 13. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

14. राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत (वित्त सहित) 1119 मदरसा एवं 09 बालिका मदरसा अर्थात कुल 1128 मदरसों एवं विभिन्न स्तर के मान्यता प्राप्त 531 संस्कृत विद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन के लिए पुनरीक्षित दर से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

15. बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य योजनान्तर्गत हुनर–IV कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु ₹ 1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़) के व्यय की स्वीकृति। — 15. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग
(माध्यमिक शिक्षा)

16. "बिहार राज्य मदरसा वित्तीय सहायता नियमावली– 2013" पर सहमति के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग
(माध्यमिक शिक्षा)

17. बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा निबंधित 2459 + 1 कोटि के मदरसों के अंतर्गत संकल्प संख्या 1090 दिनांक–29.11.80 में विहित माप–दण्ड पूरा करने वाले 205 मदरसों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि के लिए 10,46,20,000/–(दस करोड़ छियालीस लाख बीस हजार) रूपये के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 17. स्वीकृत।

कृषि विभाग

18.	खरीफ 2013 में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक–23.07.2013 को डीजल अनुदान तथा आकस्मिक फसल योजना हेतु वर्ष 2013–14 के लिए स्वीकृत कुल 784.4975 करोड़ रूपये (सात अरब चौरासी करोड़ उनचास लाख पचहत्तर हजार रूपये) के कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से तत्काल 150.00 करोड़ रूपये (एक अरब पचास करोड़ रूपये) अग्रिम की स्वीकृति।	18. स्वीकृत।

खान एवं भूतत्व विभाग

19.	नई बालू नीति के निर्धारण के संबंध में।	19. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

21.	परवरिश योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।	21. योजना के आलेख में कंडिका 2(ख) तथा 5(ख) में "स्वयं एच०आई०वी०+/एड्स से ग्रसित बच्चे" के स्थान पर "स्वयं एच०आई०वी०+/एड्स /कुष्ठरोग से पीड़ित बच्चे" प्रतिस्थापित करने के संशोधन के साथ स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

22.	"मुख्यमंत्री चापाकल योजना" के तहत वर्ष 2013–14 के लिये बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत पाँच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद् क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड दो तथा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से कुल 55221 चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले तीन वर्ष तक रख–रखाव एवं मरम्मति हेतु कुल ₹ 24042.20 लाख (दो सौ चालीस करोड़ बैयालिस लाख बीस हजार रूपये मात्र) की राशि पर प्रस्तुत योजना की स्वीकृति।	22. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

23.	मुख्यमंत्री के 'आधारभूत संरचना सलाहकार' के पद का सृजन की स्वीकृति।	23. स्वीकृत।

संसदीय कार्य विभाग

24.	बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) नियमावली 2006 के नियम–8(क), (ख)(iv), (ख)(v), (घ)(iv) में संशोधन करने के संबंध में।	24. स्वीकृत।